सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा कैम्प दिनांक 20.06.2018

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 75/2017 (29/2012) दायर तारीख 12.09.2017

1. छींतरमल पुत्र नाथू जाति हरिजन (बलाई) निवासी बहादुरपुरा तहसील विराटनगर। **— वादी**

बनाम

1. बंशीधर पुत्र भूरा जाति हरिजन (बलाई) } निवासी बहादुरपुरा
2. हनुमान पुत्र ग्यारसीलाल जाति बलाई } तहसील विराटनगर
3. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय तहसील विराटनगर, जयपुर
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, दुरूस्त इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री जितेन्द्र पलसानियां, अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 20.06.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम जयसिंहपुरा हाल आराजी खसरा नम्बर 1000/3059/0.51 हैक्टेयर वादी की कदीमी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। हाल खसरा नम्बर 1000/3059 साबिक खसरा नम्बर 312 का भाग है। साबिक खसरा नम्बर 312 काफी बडे रकबे का नम्बर था, जिसमें से ग्राम के काफी व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गयी थी। इसी खसरा नम्बर में 2 बीघा भूमि का आवंटन वादी के पिता नाथू पुत्र झूंथा के नाम दिनांक 30.06.1973 को किया गया एवं आवंटन के आधार पर जरिए नामान्तकरण संख्या 425 दिनांक 18.10.1975 से वादी के पिता के नाम खातेदारी दर्ज की गई। अलाटमेंट के समय से ही वादी अपने पिता के साथ उक्त भूमि मुतनाजा खसरा नम्बर 1000/3059 रकबा 0.51 हैक्टेयर पर काबिज काश्त है। आराजी मुतनाजा वादी की पैतृक खातेदारी भूमि है। साबिक खसरा नम्बर 312

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ग्राम जयसिंहपुरा के आवंटन अनुसार आवंटित रकबे का कब्जा दिया गया, किन्तु साबिक नक्शा ट्रेस में आवंटन व कब्जा देने अनुसार तरमीम नहीं की गयी, इस कारण हाल सैटिलमेंट की कार्यवाही में वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 1000/3059 की खातेदारी वादी के कब्जे काश्त के विपरीत प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जे काश्त की भूमि हाल खसरा नम्बर 1066 बना है, जिसे प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जे काश्त के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त की भूमि का हाल खसरा नम्बर 1060 एवं वादी के कब्जे काश्त के हाल खसरा नम्बर 1000/3059 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी गयी, जबकि उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर आवंटन के समय से ही अपने पिता के साथ काबिज रहकर काश्त करता रहा है, एवं आज भी मौके पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 2 या अन्य किसी व्यक्ति का खसरा नम्बर 1000/3059 से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। वादी ने अपने कब्जे काश्त के खसरा नम्बर 1000/3059 को काफी मेहनत कर ऊपजाऊ बनाया है। प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि हाल खसरा नम्बर 1066 की खातेदारी स्वयं के नाम घोषित करवाने एवं खसरा नम्बर 1000/3059 की खातेदारी जो उसके नाम गलत दर्ज हो गयी थी उससे नाम हजफ करने बाबत दावा मुकदमा नम्बर 137/95 उपखण्ड न्यायालय में किया, जिसमें वादी को किसी प्रकार का पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया तथा उक्त दावे का निर्णय करते समय न्यायालय ने खसरा नम्बर 1066/0.57 हैक्टेयर की खातेदारी तो वादी संख्या 2 के व खसरा नम्बर 1000/3059/0.51 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम निर्णय दिनांक 29.06.2001 द्वारा घोषित किया गया है, उससे भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई, जबकि खसरा नम्बर 1000/3059 पर प्रतिवादी संख्या 1 का कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा उक्त वादी में वादी हनुमान अथवा प्रतिवादी बंशीधर द्वारा खसरा नम्बर 1000/3059 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम घोषित किये जाने बाबत किसी भी द्वारा कोई रिलीफ नहीं चाही गयी थी, न ही इस संबंध कोई साक्ष्य पेश किया गया था कि खसरा नम्बर 1000/3059 पर बंशीधर का कब्जा है, इसके बावजूद न्यायालय ने बिना सुने खसरा नम्बर 1000/3059 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में देने निर्णय दिया है, वह एबईनिसियोनल एण्ड वोईड है। उक्त निर्णय से प्रतिवादी संख्या 1 को

भूमि खसरा नम्बर 1000/3059 पर कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः निवेदन है कि ग्राम जयसिंहपुरा के खसरा नम्बर 1000/3059/0.51 हैक्टेयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी को आराजी से जबरन बेदखल नहीं करें, वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बेजा दखल नहीं करें।

2. वादपत्र न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2016 निरस्त किये जाने बाद उभय पक्षों को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर पुनः गुणावगुण पर निर्णय किये जाने के निर्देश के साथ प्राप्त हुआ, जो बाद जांच दिनांक 12.09.2017 को दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 तारीख पेशी दिनांक 10.10.2017 को व्यक्तिशः उपस्थित हुआ, लेकिन बाद तारीखों में बावजूद सम्यक प्रतिवादीगण के असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 152 संवत् 2067–2070 Ex.-1, नकल मिलान क्षेत्रफल Ex.-2, नकल नक्शा ट्रेस Ex.-3, नकल नामान्तकरण Ex.-4, नकल खतौनी जमाबन्दी पृष्ठ संख्या 256 Ex.-5, नकल खतौनी जमाबन्दी पृष्ठ संख्या 598 Ex.-6, नकल आदेशिका न्यायालय ए.सी.एम. मुकदमा नम्बर 137/1995 Ex.-7, नकल निर्णय मुकदमा नम्बर 137/1995 Ex.-8, नकल वादपत्र मुकदमा नम्बर 137/1995 Ex.-9, नकल बयान गवाह हनुमान Ex.-10, तहसीलदार विराटनगर द्वारा सहायक कलक्टर शाहपुरा को मौका रिपोर्ट भिजवाने का लिखा गया पत्रांक 438 Ex.-11, नकल मौका पर्चा दिनांक 16.02.2001 Ex.-12, नकल सम्मन नोटिस Ex.-13 से Ex.-19, नकल पटवारी हलका जयसिंहपुरा का तहसीलदार विराटनगर को प्रेषित पत्र दिनांक 05.05.2010 Ex.-20, नकल मिलान क्षेत्रफल Ex.-21, नकल आवंटन आदेश दिनांक 30.06.1973 Ex.-22, Ex.-23, जमीन दिये जाने हेतु आवेदन पत्र Ex.-24, मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 10.03.2018 Ex.-25 आदि पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट जयसिंहपुरा में वास्ते सुनवाई पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व्यक्तिशः उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रकरण संख्या 75/2017

सत्यमेव जयते Web Copy Not Official

उनवानी छींतरमल बनाम बंशीधर वगैरह से मेरा कोई लेना–देना नहीं है, न ही प्रकरण में किसी प्रकार के निर्णय से मुझे आपत्ति है। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। वाके ग्राम जयसिंहपुरा हाल का आराजी खसरा नम्बर 1000/3059/0.51 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 312 का भाग है। साबिक खसरा नम्बर 312 काफी बडे रकबे का नम्बर था। इसी खसरा नम्बर में 2 बीघा भूमि का आवंटन वादी के पिता नाथू पुत्र झूंथा के नाम दिनांक 30.06.1973 Ex.-22 को किया गया एवं आवंटन के आधार पर जरिए नामान्तकरण संख्या 425 दिनांक 18.10.1975 Ex.-4, से वादी के पिता के नाम खातेदारी दर्ज की गई। अलाटमेंट के समय से ही वादी अपने पिता के साथ उक्त भूमि मुतनाजा खसरा नम्बर 1000/3059 रकबा 0.51 हैक्टेयर पर काबिज काश्त है। आराजी मुतनाजा वादी की पैतृक खातेदारी भूमि है। साबिक नक्शा शीट व हाल नक्शा ट्रेस का मिलान किया गया साबिक नक्शा ट्रेस में आवंटन अनुसार तरमीम नहीं की गयी, इस कारण हाल सैटिलमेंट की कार्यवाही में वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 1000/3059 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जे काश्त की भूमि हाल खसरा नम्बर 1066 बना है, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 या अन्य किसी व्यक्ति का खसरा नम्बर 1000/3059 से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि हाल खसरा नम्बर 1066 की खातेदारी स्वयं के नाम घोषित करवाने एवं खसरा नम्बर 1000/3059 की खातेदारी जो उसके नाम गलत दर्ज हो गयी थी उससे नाम हजफ करने बाबत दावा मुकदमा नम्बर 137/95 Ex.-9 उपखण्ड न्यायालय में किया, जिसमें वादी को किसी प्रकार का पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया तथा उक्त दावे का निर्णय Ex.-8 करते समय न्यायालय ने खसरा नम्बर 1066/0.57 हैक्टेयर की खातेदारी तो वादी संख्या 2 के व खसरा नम्बर 1000/3059/0.51 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम निर्णय दिनांक 29.06.2001 द्वारा घोषित किया गया है, उससे भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई, जबकि खसरा नम्बर 1000/3059 पर प्रतिवादी संख्या 1 का कभी भी कोई संबंध नहीं रहा है तथा उक्त वाद Ex.-9 में वादी हनुमान अथवा प्रतिवादी बंशीधर द्वारा खसरा नम्बर 1000/3059 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम घोषित

किये जाने बाबत किसी भी द्वारा कोई रिलीफ नहीं चाही गयी थी। आराजी साबिक खसरा नम्बर 312 विवादित रकबा 2 बीघा के हाल खसरा नम्बर 1000/3059/0.59 हैक्टेयर वादी के पिता को आवंटन आदेश दिनांक 30.06.1973 से आवंटित हुआ है। साबिक नक्शा ट्रेस में आवंटन अनुसार तरमीम नहीं होने से हाल सैटिलमेंट की कार्यवाही में वादी की खातेदारी खसरा नम्बर 1000/3059 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जे काश्त की भूमि हाल खसरा नम्बर 1066 बना है, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 या अन्य किसी व्यक्ति का खसरा नम्बर 1000/3059 से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। अतः वादी वादपत्र के माध्यम से चाही गई दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है।

आदेश

वादी का वाद डिक्री किया जाता है। ग्राम जयसिंहपुरा के खसरा नम्बर 1000/3059/0.51 हैक्टेयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त खसरा नम्बर के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हजफ कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी को आराजी से जबरन बेदखल नहीं करें, वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बेजा दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट जयसिंहपुरा दिनांक 20.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते

डिकी मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा दिनांक : 20.06.2018

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

छींतरमल पुत्र नाथू जाति हरिजन (बलाई) निवासी बहादुरपुरा तहसील विराटनगर। **—— वादी**

बनाम

1. बंशीधर पुत्र भूरा जाति हरिजन (बलाई) } निवासी बहादुरपुरा
2. हनुमान पुत्र ग्यारसीलाल जाति बलाई } तहसील विराटनगर
3. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय तहसील विराटनगर, जयपुर
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 75/2017 **दावा बाबत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री जितेन्द्र पलसानियां, एडवोकेट** व हाजरी .... मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पैरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम जयसिंहपुरा के खसरा नम्बर 1000/3059/0.51 हैक्टेयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी को आराजी से जबरन बेदखल नहीं करें, वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बेजा दखल नहीं करें। **कैम्प कोर्ट जयसिंहपुरा में सुना गया।** वादी का वाद घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। आराजी साबिक खसरा नम्बर 312 विवादित रकबा 2 बीघा के हाल खसरा नम्बर 1000/3059/0.59 हैक्टेयर वादी के पिता को आवंटन आदेश दिनांक 30.06.1973 से आवंटित हुआ है। साबिक नक्शा ट्रेस में आवंटन अनुसार तरमीम नहीं होने से हाल सैटिलमेंट की कार्यवाही में वादी की खातेदारी खसरा नम्बर 1000/3059 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जे काश्त की भूमि हाल खसरा नम्बर 1066 बना है, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 या अन्य किसी व्यक्ति का खसरा नम्बर 1000/3059 से किसी प्रकार का

संबंध नहीं है। अतः वादी वादपत्र के माध्यम से चाही गई दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाता है। ग्राम जयसिंहपुरा के खसरा नम्बर 1000/3059/0.51 हैक्टेयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त खसरा नम्बर के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हजफ कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी को आराजी से जबरन बेदखल नहीं करें, वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बेजा दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट जयसिंहपुरा दिनांक 20.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य.................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 20.06.2018** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर